भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2597
(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केरल को निधि का आवंटन

2597. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत केरल को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तटीय और पिछड़े जिलों में सृजित रोजगार की समीक्षा की है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च बेरोजगारी वाले जिलों के लिए किसी अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्रीय सहायता का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, केरल सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2026 से नई योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान (29.07.2026 की स्थिति के अनुसार), महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत केरल

को 1230.01 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, 01.07.2026 से 31.03.2027 की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु केंद्रीय अंश के रूप में राज्य को 3136.44 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है। तत्पश्चात, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वीबी-जी राम जी के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए पहली किस्त के रूप में 925.33 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(ख): वीबी-जी राम जी एक मांग-आधारित योजना है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करती है। सरकार, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से देश के सभी ग्रामीण जिलों में रोजगार के सृजन सहित इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

इस योजना के तहत रोजगार सृजन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पंजीकृत पात्र ग्रामीण परिवारों द्वारा कार्य की मांग, दिए गए रोजगार प्रस्ताव की स्वीकार्यता और कृषि-जलवायु परिस्थितियां आदि। तटीय और पिछड़े जिलों सहित सभी जिलों में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नियमित समीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क किया जाता है कि रोजगार की कोई भी मांग अधूरी न रहे। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, वीबी-जी राम जी और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत केरल में मांग के सापेक्ष 99.90% से अधिक श्रमिकों को रोजगार की पेशकश की गई है और 1.66 करोड़ श्रम-दिवस सृजित किए गए हैं।

(ग): अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती है। जिलों के बीच निधि का राज्य-स्तरीय संवितरण, उनके द्वारा अधिसूचित योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विशेषाधिकार है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि वीबी-जी राम जी अधिनियम और योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की विविध विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई संरचनात्मक सुधार शामिल किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ विकास मापदंडों के आधार पर राज्यों के बीच संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए निधियों के सामान्य आवंटन का प्रावधान शुरू किया गया है। इसके अलावा, अनुमोदित सामान्य आवंटन को ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण तथा उनकी आकलित बुनियादी ढांचे और विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते

हुए, राज्य के भीतर जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच न्यायसंगत, आवश्यकता-आधारित और पारदर्शी तरीके से संवितरित किया जाना अपेक्षित है।

यह योजना साक्ष्य-आधारित, सहभागी और संतृप्ति-आधारित योजना प्रक्रिया के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) की तैयारी का भी प्रावधान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय प्राथमिकताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का चयन किया जाए। इसके अलावा, श्रेणी III – आजीविका-संबंधित बुनियादी ढांचा कार्य, कृषि, इससे जुड़े क्षेत्रों, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण उद्यमों और अन्य आय-सृजन गतिविधियों से संबंधित टिकाऊ आजीविका परिसंपत्तियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे सतत आजीविका को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण गरीबी कम होती है।

(घ): सरकार ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया है। इस योजना के तहत निधियों के समय पर और पारदर्शी संवितरण को सरल बनाने, निधि प्रवाह की प्रभावी निगरानी सक्षम करने तथा योजना की निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एसएनए स्पर्श प्रणाली लागू की गई है। मंत्रालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से निधि की उपलब्धता और उसके उपयोग की नियमित निगरानी करता है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और कार्यस्थल स्तर पर रोजगार की मांग के आधार पर समय-समय पर निधि जारी करता है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि पात्र ग्रामीण परिवारों को निरंतर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि का अंतरिम आवंटन कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 31.07.2026 तक वीबी-जी राम जी के अंतर्गत किए गए विस्तृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अंतरिम आवंटन और जारी की गई मूल स्वीकृतियां अनुबंध में दी गई हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2597 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वीबी-जी राम जी के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 31.08.2026 की स्थिति के अनुसार किए गए अंतरिम आवंटन और जारी की गई मूल स्वीकृतियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(आंकड़े रु करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरिम आवंटन**	**पहली किश्त के तौर पर जारी की गई मूल स्वीकृतियां**
1.	आंध्र प्रदेश	7707.21	2545.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	560.7	147.55
3.	असम	1929.7	630.96
4.	बिहार	6715.83	1663.56
5.	छत्तीसगढ	3354.85	1006.46
6.	गोवा	3.7	1.23
7.	गुजरात	1540.54	310.64
8.	हरियाणा	590.19	194.93
9.	हिमाचल प्रदेश	1203.28	397.41
10.	झारखंड	2705.64	786.72

11.	कर्नाटक	5709.9	1750.88
12.	केरल	3136.44	925.33
13.	मध्य प्रदेश	6252.03	630.76
14.	महाराष्ट्र	4420.32	1459.92
15.	मणिपुर	581.99	192.21
16.	मेघालय	1155.09	381.50
17.	मिजोरम	611.65	199.21
18.	नागालैंड	287.85	95.07
19.	ओडिशा	3763.8	932.32
20.	पंजाब	1331.61	439.80
21.	राजस्थान	7581.87	2274.37
22.	सिक्किम	97.57	32.23
23.	तमिलनाडु	7585.49	2176.84
24.	तेलंगाना	3825.31	1263.41
25.	त्रिपुरा	1041.7	344.05
26.	उत्तर प्रदेश	9721.48	3210.76
27.	उत्तराखंड	626.43	193.78
28.	पश्चिम	8508	1264.49

	बंगाल		
29.	पुदुचेरी	40.56	12.88
30.	जम्मू और कश्मीर	1151.2	380.21
31.	अंडमान और निकोबार	4.44	0
32.	लद्दाख	85.98	0
33.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.02	0
34.	लक्षद्वीप	0.32	0
	कुल	93841.69	25844.97
	केंद्रीय प्रशासन के लिए निधि	1850.62	
	कुल योग	95692.31	